न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.औ.) गुलाबपुरा

बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.– 334/2013

उनवान

1 भैरु पिता कल्याण खाती, निवासी दांतडा, तहसील हुरडा ।
2 खेमराज पिता मोहन खाती, निवासी दांतडा, तहसील हुरडा ।
3 लक्ष्मण पिता मोहन खाती, निवासी दांतडा, तहसील हुरडा ।
4 नानू पिता मांगू खाती, निवासी दांतडा, तहसील हुरडा ।
5 रामपाल पिता नानू खाती, निवासी दांतडा, तहसील हुरडा ।
6 रामप्रसाद पिता नानू खाती, निवासी दांतडा, तहसील हुरडा ।
7 श्रीमति कमला बेवा नानू खाती, निवासी दांतडा, तहसील हुरडा ।
8 रामचन्द्र पिता देबी खाती, निवासी दांतडा, तहसील हुरडा ।

–वादीगण

बनाम

1 श्रीमति सोहनी बेवा बरदा खाती, निवासी दांतडा, तहसील हुरडा।
2 सांवर पिता बरदा खाती, निवासी दांतडा, तहसील हुरडा।
3 महावीर पिता बरदा खाती, निवासी दांतडा, तहसील हुरडा।
4 प्रभु पिता बरदा खाती, निवासी दांतडा, तहसील हुरडा ।
5 श्रीमति नाथी पुत्री बरदा पत्नि रामा खाती, निवासी दांतडा तह. हुरडा हाल मुकाम हणुतियॉ, जिला– अजमेर ।
6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हुरडा ।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री राजेश पारीक वकील वादी ।
श्री दिनेश तिवाडी वकील प्रतिवादी ।

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88 92 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

–:निर्णय:–

दिनांक– 25.06.2018

1– वादीगण के द्वारा एक वाद पत्र प्रस्तुत अंकित किया गया कि मौजा दांतडा तहसील हुरडा में वादीगण के पिता / वारिसान/ प्रतिवादीगण बरदा उर्फ घीसा पिता बालु, मांगू पिता हीरा, लादू, नानू, रामचन्द्र पिता देबी, सूरज पिता हणुता खाती ने खातेदार गोपी पिता नन्दा जाट निवासी दांतडा से आराजी नम्बर– 1910 रकबा 04 बीघा 19 बिस्वा खरीद किया तभी से उक्त आराजी पर कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है।

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.औ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

2– मौजा दांतडा तहसील हुरडा में मांगू पिता हीरा, घीसा उर्फ बरदा पिता बालु खाती ने खातेदार गोपी पिता नन्दा जाट से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तभी से काबिज आराजी नम्बर– 1920 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा पर चले आ रहे है।

3– मौजा दांतडा तहसील हुरडा में बरदा पिता बालु, कल्याण पिता हणुता खाती ने गोपी पिता नन्दा जाट से आराजी नम्बर– 1921 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा, 1922 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा वक्त खरीद से आराजी पर माफिक हिस्से अनुसार कब्जा चला आ रहा है।

4 वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता द्वारा वक्त विक्रय पत्र से खरीदने के पश्चात उसका इन्तकाल वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता के नाम पर खुला एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण का उक्त आराजीयात में सेटलमेन्ट के राजस्व मुलाजिमान को उक्त इन्द्राज ही दौराने थे मगर राजस्व मुलाजिमान की गलती से प्रतिवादीगण से लगायत 05 के पिता के नाम जमाबन्दी में अमल दारमद कर दी जिसको वादीगण प्रतिवादीगण 01 से लगायत 05 के खाते से हटाकर अपने निहित हिस्से अनुसार दर्ज कराने को घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है।

5 वादपत्र की कलम् नम्बर– 01 में वादीगण 01 से लगायत 03 का 1/4 हक हिस्सा एवं वादीगण संख्या– 04 नानू का 1/4 हक हिस्सा एवं वादीगण 05 से लगायत 08 का 1/4 हक हिस्से से दर्ज होना चाहिये था तथा वादपत्र की कलम नम्बर– 02 आराजी नम्बर– 1920 जिसके साबिक नम्बर– 552 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा में प्रतिवादीगण संख्या– 01 से लगायत 05 का 1/2 हक हिस्सा एवं वादी नम्बर– 04 नानू पिता मांगू का 1/2 हक हिस्सा दर्ज होना चाहिये था, तथा वादपत्र की कलम नम्बर– 03 में वादीगण संख्या– 01 से लगायत 03 का 1/2 हक हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 05 का 1/2 हक हिस्से दर्ज होना चाहिये था, तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है।

6 प्रतिवादीगण उक्त नाजायज तौर पर राजस्व रेकार्ड में नाम अंकन हो जाने की वजह से वादीगण के कब्जे काश्त की उक्त आराजी में नाजायज तौर हस्तक्षेप करते है और वादीगण को जबरन बेदखल करने कराने पर उतारु है और मना करने पर न मान लडाई झगडा करने पर उतारु होते है और ये रवैया भी उन्होने दिनांक 05.10.2013 से जारी कर रखा है, जो कृत्य उनका अवैध व नाजायज होकर कानून की मंशा के विपरित होने से इससे रुके रहने बाबत उनको बजरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना आवश्यक होकर न्यायहित में है वरना वादीगण को अपनी आराजी के हक उपभोग से वंचित रहकर ऐसी असहनीय क्षति का सामना करना पडेगा जिसकी क्षतिपूर्ति असम्भव है।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

7 अन्त में अंकित किया गया कि आराजी मुतदाविया में मुन्दर्जे वाद पत्र की कलम नम्बर– 01, 02, 03 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण वादपत्र की कलम नम्बर– 05 के अनुसार हिस्सा दर्ज कराने की खातेदारी हक की घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जावें। बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री इस अमर की सादीर फरमायी जावें कि वादपत्र की कलम संख्या– 01, 02, 03 में वो स्वयं या अन्य द्वारा वादीगण की उक्त आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने कराने व वादीगण को जबरन बेदखल करने कराने से रुके रहे एवं विक्रय नही करे करावे व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। यदि दोराने वादपत्र प्रतिवादीगण इसमें सफल हो जावे तो पुनः उसके खर्चे से आज की स्थिति रेस्टोर करवाई जावे।

8 प्रस्तुत वाद पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाने पर प्रतिवादी संख्या– 01 से 05 की और से दिनांक 17.11.2014 को जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या– 6 के पैरोकारराज के द्वारा औपचारिक पक्षकार होने से जवाबदावा प्रस्तुत नही किया गया।

9 प्रकरण में वादपत्र व जवाबदावा के आधार पर दिनांक 19.02.2018 को निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई –

तनकी नं.1	आया मौजा दांतडा की आराजी नम्बर– 1910 रकबा 04 बीघा 19 बिस्वा बरदा उर्फ घीसा, मांगू, लादू, नानू, रामचन्द्र, सुरजा ने गोपी पुत्र नन्दा जाट से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था।	–वादीगण
तनकी नं.2	आया मौजा दांतडा की आराजी नम्बर– 1920 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा भूमि मांगू, घीसा ने गोपी पुत्र नन्दा जाट से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था।	–वादीगण
तनकी नं.3	आया मौजा दांतडा की आराजी नम्बर– 1921 रकबा 02 बीघा 06, 1922 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि बरदा, कल्याण ने गोपी पुत्र नन्दा जाट से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तभी से वह काबिज काश्त चले आ रहे है।	–वादीगण
तनकी नं.4	आया सेटलमेन्ट में गलती से आराजी मुतदाविया प्रतिवादी संख्या– 01 से 05 के पिता के नाम दर्ज कराने के अधिकारी है।	–वादीगण
तनकी नं.5	आया वादीगण की कलम नम्बर– 05 में वर्णित अनुसार आराजी मुतदाविया अपने नाम पर दर्ज कराने के अधिकारी है।	–वादीगण
तनकी नं.6	आया वादपत्र की कलम नम्बर– 06 में वर्णित कारणों से वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा से की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है।	–वादीगण
तनकी नं.7	आया आराजी नम्बर– 1910 1920 1921 1922 को अकेले प्रतिवादीगण के पिता बरदा ने खरीद कर कब्जा प्रापत किया है । जिसमें अन्य को कोई लेना देना नही है।	–प्र.वादी 1 से 5
तनकी नं.8	आया वादीगण द्वारा वादपत्र मिथ्या व आधार हीन तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है, जो खारिज योग्य है।	–प्र.वादी 1 से 5
तनकी नं.9	अनुतोष	

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

10 तत्पश्चात पत्रावली आज कोर्ट दांतडा पर पेश हुई । वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस सुने जाने पर अपनी सहमति व्यक्त करने से वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दक्त बहस वकील वादी का कथन था कि वादीगण व प्रतिवादीगण के मौरुस बरदा उर्फ घीसा, मांगू, लादू, नानू, रामचन्द्र, सुरजा खाती ने वादग्रस्त आराजी नम्बर– 1910 के खातदार गोपी पिता नन्दा जाट से खरीद की थी, इसी प्रकार मांगू, घीसा ने आराजी नम्बर– 1920 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा तथा बरदा, कल्याण ने आराजी नम्बर– 1921 रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा, आराजी नम्बर– 1922 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तभी से खरीदारान का नाफिक हिस्सा अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है, भूमि खरीद के बाद उसका इन्तकाल वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता के नाम खुला किन्तु सेटलमेन्ट के दौरान गलती से प्रतिवादीगण– 1 स 5 के पिता के नाम ही अमल दरामद किया गया जो विधि विरुद्ध है। अन्त में कथन किया कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या– 1 से 5 के खाते से हटाकर वादीगण के निहित हिस्से के अनुसार दर्ज करवाई जावें ।

11 जबकि वकील प्रतिवादी का कथन था कि वादग्रस्त आराजीयात को प्रतिवादीगण के पिता बरदा उर्फ घीसा ने गोपी पुत्र नन्दा जाट से खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था, उक्त भूमि पर कब्जा बरदा उर्फ घीसा का व उसकी मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजीयात से प्रार्थीगण व कल्याण मांगू का कोई लेना देना नही है, और न ही उनका कब्जा काश्त है। अन्त में कथन किया कि दावा वादीगण खारिज फरमाया जावें।

12 मैनें वकील उभयपक्ष को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से है–

13 **तनकी नम्बर– 1** इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर है। इस तनकी के समर्थन में वादीगण के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है, जिससे यह प्रकट हो कि मौजा दांतडा कि आराजी नम्बर– 1910 रकबा 04 बीघा 19 बिस्वा भूमि बरदा उर्फ घीसा, मांगू, लादू, नानू, रामचन्द्र, सूरजा ने गोपी पिता नन्दा जाट से खरीद कर भूमि का कब्जा प्राप्त किया हो। वादीगण के द्वारा जो भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग का खसरा सम्वत् 2022 प्रस्तुत किया गया है, जिस अनुसार हाल आराजी नम्बर– 1910 रकबा 04 बीघा 19 बिस्वा जो सेटलमेन्ट से पूर्व गोपी पिता नन्दा जाट के नाम दर्ज थी, तथा ए.एस.ओ. के मिसल नम्बर– 1664/66 उनवान गीसा उर्फ बरदा पुत्र बालु खाती में पारित आदेश दिनांक 10.10.1966 से घीसा उर्फ बरदा के नाम दर्ज होना तथा इसी खसरा में हुई इन्द्राज के अनुसार नामान्तकरण संख्या– 10 से बरदा पुत्र बालु , लादू, नानू, रामचन्द्र पिता देबी, मांगू पिता हीरा का नाम भी दर्ज होना प्रकट आया है।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला–भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

वादीगण के द्वारा पत्रावली में न तो इन्तकाल नम्बर– 10 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है और ना ही सेटलमेन्ट के पश्चात यानि सम्वत् 2033 से 2068 तक का कोई राजस्व जमाबन्दी प्रस्तुत की गई। इन दस्तावेजात के अभाव में यह स्पष्ट नही हो रहा है कि नामान्तकरण संख्या– 10 ए.एस.ओ. के आदेश दिनांक 10.10.1966 से पूर्व का है या बाद का । तथा इन्तकाल नम्बर– 10 किस आधार पर बरदा के साथ लादू, नानू, रामचन्द्र, मांगू के नाम निर्णित हुआ। साथ ही वादग्रस्त भूमि के घीसू उर्फ बरदा 46 साल से रिर्काडेड खातेदार है। ऐसी स्थिति में इस तनकी का निर्णय वादीगण के विरुद्ध किया जाता है।

14 **तनकी नम्बर–2** इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर है। इस तनकी के समर्थन में वादीगण के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है, जिससे यह प्रकट हो कि मौजा दांतडा कि आराजी नम्बर– 1920 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा भूमि मांगू, घीसू ने गोपी पिता नन्दा जाट से खरीद कर भूमि का कब्जा प्राप्त किया हो। वादीगण के द्वारा जो भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग का खसरा सम्वत् 2022 प्रस्तुत किया गया है, जिस अनुसार हाल आराजी नम्बर– 1920 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा भूमि जो सेटलमेन्ट से पूर्व गोपी पिता नन्दा जाट के नाम पर दर्ज थी, तथा ए.एस.ओ. के मिलस नम्बर– 1664/66 उनवान घीसा उर्फ बरदा पुत्र बालु खाती के नाम दर्ज रिकार्ड आना प्रकट आया है तथा वादग्रस्त भूमि के घीसू उर्फ बरदा 46 साल से रेर्काडेड खातेदार है जहॉ तक भूमि पर कब्तेकाश्त का प्रश्न है वादीगण के द्वारा अपने कब्जे के समर्थन में भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही कराई गई है, ऐसी स्थिति में इस तनकी का निर्णय वादीगण के विरुद्ध किया जाता है।

15 **तनकी नम्बर– 3** इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर है। इस तनकी के समर्थन में वादीगण के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है, जिससे यह प्रकट हो कि मौजा दांतडा कि आराजी नम्बर– 1921 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा, आराजी नम्बर–1922 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि बरदा, कल्याण ने गोपी पिता नन्दा जाट से खरीद कर भूमि का कब्जा प्राप्त किया हो। वादीगण के द्वारा जो भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग का खसरा सम्वत् 2022 प्रस्तुत किया गया है, जिस अनुसार हाल आराजी नम्बर– 1921 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा, तथा हाल आराजी नम्बर– 1922 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि जो सेटलमेन्ट से पूर्व गोपी पिता नन्दा जाट के नाम पर दर्ज थी, तथा ए.एस.ओ. के मिलस नम्बर– 1664/66 उनवान घीसा उर्फ बरदा पुत्र बालु खाती के नाम दर्ज रिकार्ड आना प्रकट आया है तथा वादग्रस्त भूमि के घीसू उर्फ बरदा 46 साल से रेर्काडेड खातेदार है जहॉ तक भूमि पर कब्तेकाश्त का प्रश्न है वादीगण के द्वारा अपने कब्जे के समर्थन में भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही कराई गई है, ऐसी स्थिति में इस तनकी का निर्णय वादीगण के विरुद्ध किया जाता है।

Scanned by CamScanner

16 **तनकी नम्बर– 4 व 5** इन दोनो तनकीयों को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर होने तथा यह दोनो तनकीयों एक–दूसरे से सम्बन्धित होने से इनका विवेचन एक साथ किया जा रहा है। इन तनकीयों के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन तनकी नम्बर– 1, 2, 3 में किया जा चूका है। पृथक से और विवेचन किया जाना न्यायालय उचित नही समझता है, लिहाजा इन दोनो तनकीयों का निर्णय वादीगण के विरुद्ध किया जाता है।

17 **तनकी नम्बर– 6** इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर है। चुँकि वादग्रस्त भूमि के 46 सालों से घीसू उर्फ बरदा रिर्कार्डेड खातेदार दर्ज चले आ रहे है, जिनके वारिसानों को बिना किसी आधार के पाबन्द किया जाना न्यायालय उचित नही समझता है, लिहाजा इस तनकी का निर्णय वादीगण के विरुद्ध किया जाता है।

18 **तनकी नम्बर– 7 व 8** इन दोनो तनकीयों को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादीगण पर होने तथा यह दोनो तनकीयों एक–दूसरे से सम्बन्धित होने से इनका विवेचन एक साथ किया जा रहा है। इन तनकीयों के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन तनकी नम्बर– 1, 2, 3 में किया जा चूका है। पृथक से और विवेचन किया जाना न्यायालय उचित नही समझता है, लिहाजा इन दोनो तनकीयों का निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष किया जाता है।

19 **तनकी नम्बर– 9** समग्र रुप से हम पाते है कि वादग्रस्त भूमि सेटलमेन्ट से पूर्व गोपी पिता नन्दा जाट के खातेदारी की थी, सेटलमेन्ट के दौरान घीसा उर्फ बरदा खाती के द्वारा एक प्रार्थना पत्र जरिये डाग से दिनांक 09.09.1966 को ए.एस.ओ. अजमेर को प्रेषित कर ग्राम दांतडा की आराजी नम्बर– 552, 553 को कब्जा व बेनामा के आधार पर उनके नाम दर्ज कराने का निवेदन किया जाने से ए. एस.ओ. ने उक्त प्रार्थना पत्र मिसल नम्बर– 1664/66 कायम कर दिनांक 10.10.1966 को निर्णित पारित कर उक्त विवादित भूमि घीसू उर्फ बरदा खाती के नाम दर्ज की गई थी, जो लगभग 46 साल से घीसू खाती के नाम दर्ज चली आ रही है। अब वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वजों के मृत्यु होने के बाद वादीगण के द्वारा 36 वर्ष बाद यह वादपत्र बिना किसी आधार पर प्रस्तुत किया गया है , साथ इस वाद की सभी तनकीयों का निर्णय वादीगण के विरुद्ध हो जाने से इस वाद का निर्णय हो जाता है लिहाजा दावा वादी खारिज योग्य है।

–: निर्णय :–

दावा वादी खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिकी पर्चा मुर्तिब हो । पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । निर्णय आज दिनांक 25.06.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट दांतडा पर सूनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner